सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 7 / 2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ
(सायल)

बनाम

श्री देवेन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 14, मांगरोल
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— ए.पी.पी. (सायल)
2— स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 27.05.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 14, मांगरोल जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने व आम जनता के साथ मारपीट की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2010 से 2016 की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है जिसमे से यह 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41 / 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यावाही भी की जा चुकी है, फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	277 / 10	13 आर.पी.जी.ओ.	216 / 12.12.2010	सजा / 10.01.2011
2.	155 / 10	452, 332, 353 भादसं	138 / 29.07.2010	पैण्डिग कोर्ट
3.	75 / 16	13 आर.पी.जी.ओ.	118 / 18.04.2016	सजा / 30.05.2016

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 06.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2010 से 2016 की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है जिसमे से यह 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यावाही भी की जा चुकी है, फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जिला बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, विगत 4–5 सालों से मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। मेरा गॉव यहॉ से 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही कर पुलिस थाना अयाना जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2010 से 2016 की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है जिसमे से यह 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यावाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 14, मांगरोल जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आ.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 14, मांगरोल जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से 07 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 14, मांगरोल जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मांगरोल से 07 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 11.06.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ